



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०,

“खाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

कार्यालय आदेश

अपर जिला दण्डाधिकारी,आपूर्ति, पटना के पत्रांक ८३१ दिनांक ३१.५.१९ से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में सहायक प्रबंधक श्री दीपक कुमार द्वारा गोदाम पर अभिलेखों को नहीं रखने, आगत खाद्यान्न को गोदाम में भंडारित नहीं कराकर सीधे NFSA के अन्तर्गत निर्गत करने, गोदाम में खाद्यान्न के भंडार में सही Stacking नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

आगत खाद्यान्न से लदे ट्रक से खाद्यान्न को गोदाम में भंडारित न कर सीधे NFSA में निर्गत किये जाने से दीपक कुमार सहायक प्रबंधक, DSD संवेदक एवं परिवहन अभिकर्ता(मुख्य) की सांठ-गांठ स्पष्ट है, जिससे हथालन राशि की चोरी प्रमाणित है।

उपरोक्त आरोप के आधार पर श्री दीपक कुमार, सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मनेर पटना को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय राज्य खाद्य निगम, गया निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन यापन भत्ता देय होगा।

श्री अभिमन्यु कुमार, सहायक प्रबंधक पदस्थापन की प्रतीक्षा में जिला प्रबंधक कार्यालय, पटना को सहायक प्रबंधक, टी०पी०डी०एस०, मनेर के रूप में पदस्थापित किया जाता है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना को आदेश है कि श्री कुमार के प्रभार के गोदाम का भौतिक सत्यापन अपर जिला दण्डाधिकारी(आपूर्ति), पटना के साथ संयुक्त रूप से दो दिनों के अन्दर कराकर गोदाम का प्रभार श्री अभिमन्यु कुमार, सहायक प्रबंधक को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह०/-

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

ज्ञापांक:- ३:०२:२१४:०१:२०१९ ५९५५

दिनांक- ०७.०६.२०१९

प्रतिलिपि-श्री दीपक कुमार, सहायक प्रबंधक एवं श्री अभिमन्यु कुमार, सहायक प्रबंधक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर जिला दण्डाधिकारी(आपूर्ति), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप महाप्रबंधक, जनवितरण, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निलंबित सहायक प्रबंधक के विरुद्ध आरोप पत्र गठन कर अनुशासनिक कार्यवाई के लिए अनुशंसा तत्काल भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि-सभी उप महाप्रबंधक, सतर्कता पदाधिकारी, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी महाप्रबंधक, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति/जनवितरण, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप महाप्रबंधक, प्रशासन